EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3 SUB. SEC. (i)

Appearing on Page No. 521—545

Dated 5-3-88

विधि और न्याय मंत्रालय

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1988

सा.का.नि. 125--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निर्वाचन आयोग (कर्मचारिवृंद की भर्ती) नियम, 1974 को जहां तक वे उपनिर्वाचन आयुक्त, सचिव, अवर सचिव, अवर सचिव (विधि), अनुसंधान अधिकारी, अधीक्षक (विधि) अनुभाग अधिकारी, हिंदी अधिकारी, ज्येष्ठ निजी सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, अनुसंधान सहायक, आशुलिपिक श्रेणी 2 और सहायक के समूह "क" और समूह "ख" पदों को लागू होते हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निर्वाचन आयोग में समूह "क" और समूह "ख" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचन आयोग (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

परन्तु किसी ऐसे पद के संबंध में जिस पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, ऐसा कोई आदेश उक्त आयोग से परामर्श किए बिना नहीं किया जाएगा।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा
9. अनुसंधान सहायक	3* (1988) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	1640-60-2600-द.रो.-75-2900	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

14c

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं, या (ii) जिन्होंने 1400–2300/2600 रु. वेतनमान वाले पद पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है। (ख)] जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :— (i) अर्हताएं : आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समतुल्य (ii) अनुभव किसी भी सामाजिक विज्ञान में या भारतीय निर्वाचन विधि और प्रक्रिया के उपयोजन में अनुसंधान का अनुभव। वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13	14
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7
10. आशुलिपिक श्रेणी 'ग'	5* (1988) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित अनुसचिवीय	1400-40-1600-50-2300-द०रो०-60-2600-रु०	अचयन	नहीं	जहां भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है वहां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक परीक्षा के नियमों में अधिकथित रूप में और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक श्रेणी "ख" सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियमों में अधिकथित रूप में।

8	9	10
जहां पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है वहां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक परीक्षा के नियमों में अधिकथित रूप में और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक श्रेणी 'ख' सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियमों में अधिकथित रूप में।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष।

11	12
(i) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (ii) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर) जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (iii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित आशुलिपिक परीक्षा के माध्यम से) जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रोन्नति : (क) 25 प्रतिशत प्रोन्नति ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 'घ' में से की जाएगी जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। (ख) स्तम्भ 11 के (ii) और (iii) में वर्णित परीक्षा पात्रता के प्रयोजन के लिए, अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा क्रमश: प्रत्येक वर्ष जारी की गई परीक्षा की सूचना में अधिकथित सभी अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं; या (ii) जिन्होंने 1200–2040 रु० के वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है। (फीडर प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्त किए गए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13	14
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. उप निर्वाचन आयुक्त (प्रशासन) --अध्यक्ष 2. निर्वाचन आयोग में सचिव --सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी, किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	सीधी भर्ती करते समय, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
11. पुस्तकालय अध्यक्ष	1* (1988) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय	2000-60-2300-द० रो०-75-3200-100-3500 रु०	चयन	नहीं	20 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

8	9	10
ग्रावश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या समतुल्य (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा (iii) पुस्तकालय में 3 वर्ष का ग्रनुभव । टिप्पण : 1. ग्रर्हताएं ग्रन्यथा सुग्रहित ग्रभ्यार्थियों की दशा में संघ लोक सेवा ग्रायोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 2 : ग्रनुभव संबंधी ग्रर्हता (ग्रर्हताएं) संघ लोक सेवा ग्रायोग के विवेकानुसार ग्रनुसूचित जातियों ग्रौर ग्रनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा ग्रायोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ग्रपेक्षित ग्रनुभव रखने वाले उन समुदायों के ग्रभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । वाछनीय : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य (ii) उत्तरदायित्वपूर्ण हैसियत में प्रलेखन कार्य का ग्रनुभव (iii) ग्रंग्रेजी से भिन्न किसी एक ग्राधुनिक यूरोपीय भाषा का कार्यसाधक ज्ञान।	ग्रायु : नहीं शैक्षिक ग्रर्हताएं स्तम्भ 12 में यथा वर्णित रूप में	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष

11	12
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के ग्रधीन ऐसे ग्रधिकारी : 1.(क)(i) जो नियमित ग्राधार पर सदृश पद धारण करते है : या (ii) जिन्होंने 1640-2900 रु० वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 1400-2300 रु० के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है, ग्रौर (ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के ग्रधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक ग्रर्हताएं ग्रौर ग्रनुभव हैं। 2. निर्वाचन ग्रायोग के ऐसे सहायक पुस्तकालय ग्रध्यक्ष के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिसने उस श्रेणी में 2 वर्ष नियमित सेवा की है ग्रौर जिसके पास कम से कम स्नातक डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा ग्रौर डिग्री या पुस्तकालय विज्ञान में समतुल्य डिप्लोमा है। यदि उस सहायक पुस्तकालय ग्रध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । (फीडर प्रवर्ग के ऐसे विभागीय ग्रधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति किए गए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की ग्रवधि, जिसके ग्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी ग्रन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी ग्रन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की ग्रवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से ग्रधिक नहीं होगी ।)

13	14
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. उप निर्वाचन आयुक्त (प्रशासन)--अध्यक्ष 2. निर्वाचन आयोग में सचिव--सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।	चयन, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।

1	2	3	4	5	6	7
12. सहायक	45* (1988) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, अनुसचिवीय	1400-40-1600-50-2300-द०रो०-60-2600 रु०	चयन	नहीं	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक श्रेणी परीक्षा के नियमों में यथा-अधिकथित रूप में ।

8	9	10
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक श्रेणी परीक्षा के नियमों में यथा अधिकथित रूप में ।	नहीं	2 वर्ष

11	12
(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, और (ii) 50 प्रतिशत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक श्रेणी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति : ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद पर धारण करते हैं, या (ii) जिन्होंने 1200-2040 रु० वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है और (ख) जिन्हें स्थापन/निर्वाचन संबंधी मामलों का 2 वर्ष का अनुभव है (फीडर प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति किए गए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

13	14
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए संबंध में विचार करने के लिए) 1. उप निर्वाचन आयुक्त (प्रशासन)—अध्यक्ष 2. निर्वाचन आयोग में सचिव—सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[सं. ए. 12011/2/85-प्रशा. I (वि.वि.)]

एस. पी. सिंह/उप सचिव